न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 3 / 2025 (उदयपुर डिक्री)

1. चमनलाल पिता स्वर्गीय तुलसीराम जी गुर्जर, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. राधेश्याम पिता स्वर्गीय तुलसीराम जी गुर्जर, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती सूरज देवी पुत्री स्वर्गीय तुलसीराम पत्नी जगदीश जी गुर्जर, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
का. अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा
दिनांक 08.05.2024, प्र.सं. 60 / 2024

———/———

उपस्थित :– 1– श्री लोकेश गहलोत अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री धनसिंह झाला राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 02–04–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बलीचा, तहसील गिर्वा में बिलानाम साबिक आराजी नंबर 241 / 1 मी. में से 10 बीघा भूमि मिसल नंबर 273 सन 57 द्वारा वादीगण के पिता को एलोट की गयी व जरिये नामान्तरकरण संख्या 15 खोला जाकर आराजी नंबर 241 / 1 घ रकबा 10 बीघा भूमि वादीगण के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2015 से 2018 में खाता संख्या 72 में दर्ज की गयी। उक्त 10 बीघा भूमि पर वादीगण का कब्जा सेटलमेन्ट के पूर्व से अर्थात संवत् 2033 से निरन्तर राजस्व जमाबन्दी गैर खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही थी व नामान्तरकरण संख्या 328 से खातेदारी हक भी वादीगण के पिता को प्रदान किये गये, जिसका इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2040 में 2033 में किया हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:08:15 IST
Reason: SelfAttested

किन्तु सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व अभिलेखों से वादीगण के पिता का नाम हटाकर बिलानाम सरकार दर्ज कर आराजी नंबर 1793 रकबा 3.4050 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1794 रकबा 0.1550 हैक्टर में मिला दिया गया, जबकि वादीगण के पिता की 10 बीघा भूमि पर कब्जा वादीगण का निरन्तर चला आ रहा है। राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों को केवल सक्षम न्यायालय के आदेश, विरासत एवं बिकाव इन तीन आधारों पर ही परिवर्तन करने का अधिकार है। उक्त मामले में इन तीनों में से कोई भी परिस्थिति नहीं होते हुए भी राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने वादीगण के पिता के नाम दर्ज साबिक आराजी नंबर 241/1 घ को गलत रूप से बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया, जिसे वादीगण पुनः अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। अतः वादी को आराजी नंबर 1793 रकबा 3.4050 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1794 रकबा 0.1550 हैक्टर में से 10 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर 5 तनकियां कायम की तथा दिनांक 01–10–2015 को वादी का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गयी, जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 05–03–2018 को स्वीकार की जाकर तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की गयी।

न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 08–05–2024 को तनकीवार विवेचन करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 03–01–2025 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री धनसिंह झाला उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश गहलोत उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की नकल अपीलान्टगण को दिनांक [illegible]-2024 को प्राप्त हुई। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:08:15 IST
Reason: SelfAttested

नकल लेने के बाद अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि उक्त प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि ''वादग्रस्त साबिक आराजी नंबर 241/1 घ रकबा 10 बीघा का हाल आराजी नंबर पैमाईश के द्वारा क्या बनाया गया और यदि नहीं बताया गया तो मौके पर आवंटित शुदा भूमि के हाल आराजी नंबर क्या उभर कर आ रहे हैं और मिलान क्षेत्रफल में आवंटित भूमि को क्यों नहीं दर्शाया गया और यदि नहीं दर्शाया तो साबिक आराजी चला कहां गया, जबकि मौके पर साबिक के अनुसार भूमि तो मौजूद है।'' उक्त मिलान बनाने की गलती पैमाईश वालों की है, इसमें काश्तकार की कोई गलती नहीं है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य तो प्रत्यक्ष था कि अपीलान्ट के पिता की साबिक आराजी नंबर 241/1 घ रकबा 10 बीघा भूमि जो उनके खातेदारी में दर्ज थी वह कागजों में कहां चली गयी और यदि चली गयी तो किसकी गलती से गयी और इसमें अपीलान्ट की क्या लापरवाही है। साबिक के मुकाबले हाल नंबर बनाना रेस्पोन्डेन्ट व पैमाईश वालों का काम है, न कि अपीलान्ट के पिता का। तहसीलदार स्वयं ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि मौके पर कब्जा अपीलान्ट का चला आ रहा है। यह भी विचारणीय है कि हाल आराजी नंबर 1793 व 1794 में से 10 बीघा भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा कैसे चला आ रहा है। प्रकरण में यह तो साबित है कि उक्त 10 बीघा भूमि अपीलान्ट के पिता को आवंटित हुई एवं उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त होकर राजस्व अभिलेखों में अंकन किया गया, लेकिन पैमाईश के समय गलत हाल नंबर अंकित कर दिये जाने से अपीलान्ट की भूमि बिलानाम दर्ज कर दी गयी, जबकि उक्त भूमि अपीलान्ट की आवंटन शुदा होकर उनका कब्जा चला आ रहा है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री अपास्त की जाकर अपीलान्टगण का वाद डिक्री फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें [illegible] आर[illegible] 2017 (1) पेज 664, आर.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:08:15 IST
Reason: SelfAttested

आर.टी. 2015 (2) पेज 1214, आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 226, आर.आर.टी. 2010 (1) पेज 554 प्रस्तुत की।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि हाल आराजी नंबर का साबिक आराजी से मिलान नहीं होता है तथा मौके पर किसी प्रकार की काश्त नहीं हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन कर न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। अपीलान्ट/वादीगण यह साबित नहीं कर पाये कि साबिक नंबर से हाल नंबर कौन से बने हैं। अपीलान्ट का कथन कि उनके खाते के साबिक आराजी नंबर 241/1 घ से हाल आराजी नंबर 1973 व 1974 बनाकर सेटलमेन्ट के समय उन्हें बिना किसी अधिकार के बिलानाम दर्ज कर दिया गया है, किन्तु इस संबंध में वादीगण कोई खसरा मिलान प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रदर्श 8 अनुसार आराजी नंबर 1973 व 1974 बिलानाम काबिल काश्त दर्ज होकर उसकी किस्म मगरी दर्ज है, जिस पर किसी प्रकार की काश्त होने संबंधी कोई साक्ष्य अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों की पालना में प्रकरण में तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों की रोशनी में प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–05–2024 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 02–04–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:08:15 IST
Reason: SelfAttested